

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 305/2022  
गुगनराम निवासी किसान कालोनी, वार्ड नं0 10, नियर रविन्द्र पब्लिक स्कूल सी0सै0स्कूल, झुंझुनूं, पिन कोड  
333001, बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 305/2022 पर दिनांक15.09.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4588-89 दिनांक 15.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 ( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/22/1229 दिनांक 20.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी गुगनराम निवासी किसान कालोनी, वार्ड नं0 10, नियर रविन्द्र पब्लिक स्कूल सी0सै0स्कूल, झुंझुनूं का आवेदन इस कार्यालय मे दिनांक 10.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/09/374 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया। उक्त क्रम मे प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 843 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है। सुनवाई का नोटिस, मीमो दण्डादेश इत्यादि धारा ( 8 )( 1 )( J ) मे परिभाषित व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी मे आते है। तथा कोई वृहद् लोकहित होने पर ही उक्त सूचना देय है। आप द्वारा अपने आवेदन मे ऐसा कोई लोकहित का आशय स्पष्ट नही किया है। अतः संबंधित पक्षकार से सहमति होने पर ही आपको सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जा सकती है एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 842 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा श्री राजकुमार, ग्राम विकास अधिकारी, गाम पंचायत बेरला, पंचायत समिति, सूरजगढ से सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध मे अपनी सहमति/असहमति के दिये जाने के संबंध मे पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी को अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 ( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/22/1229 दिनांक 20.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी गुगनराम




*Handwritten signature*

निवासी किसान कालोनी, वार्ड नं० 10, नियर रविन्द्र पब्लिक स्कूल सी०सै०स्कूल, झुंझुनूं का आवेदन उनके कार्यालय मे दिनांक 10.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/०९/३७४ दिनांक ०१.०९.२०२२ के द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया। उक्त क्रम मे प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 843 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है। सुनवाई का नोटिस, मीमो दण्डादेश इत्यादि धारा ( 8 )( 1 )( J ) मे परिभाषित व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी मे आते है। तथा कोई वृहद् लोकहित होने पर ही उक्त सूचना देय है। आप द्वारा अपने आवेदन मे ऐसा कोई लोकहित का आशय स्पष्ट नही किया है। अतः संबंधित पक्षकार से सहमति होने पर ही आपको सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जा सकती है एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 842 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा श्री राजकुमार, ग्राम विकास अधिकारी, गाम पंचायत बेरला, पंचायत समिति, सूरजगढ से सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध मे अपनी सहमति/असहमति के दिये जाने के संबंध मे पत्र लिखा गया है। चूंकि तीसरे व्यक्ति द्वारा सूचना दिये जाने के संबंध मे अपनी सहमति प्रदान नही की गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल०एस०कुडी )  
जिला कलेक्टर, झुंझुनूं